भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 72
(जिसका उत्तर सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया)

शीर्ष कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय

***72. श्री उपेन्द्र सिंह रावतः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास क्षेत्रों आदि में देश की शीर्ष 500 कंपनियों द्वारा कुल कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय का उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने कंपनियों को आने वाले वर्ष 2023 में भूजल विकास, सौर पैनल और प्रदूषण मुक्त जल निकायों को सीएसआर निवेश के प्रमुख क्षेत्र बनाने की सलाह दी है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कंपनियों को अव्ययित सीएसआर निधि को अगले वर्षों में ले जाने की अनुमति दी गई है/अनुमति दिये जाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

शीर्ष कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय के संबंध में दिनांक 12 दिसंबर, 2022 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *72(12वीं स्थिति) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, इस अधिनियम की अनुसूची VII तथा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक ढांचा का प्रावधान किया गया है। सीएसआर ढांचा प्रकटन पर आधारित है तथा सीएसआर अधिदेशित कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फाइल करें। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किए गए सीएसआर व्यय से संबंधित सभी आंकड़े www.csr.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, विगत दो वित्तीय वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान पर्यटन (कला एवं संस्कृति), शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास क्षेत्रों इत्यादि सहित विभिन्न कार्यकलापों में शीर्ष 500 कंपनियों द्वारा व्यय की गई सीएसआर राशि का विकास क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

इसी अवधि के दौरान शीर्ष 500 कंपनियों द्वारा राज्य-वार (उत्तर प्रदेश सहित) व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

साथ ही, कंपनियों से यह भी अपेक्षित है कि वे वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर ब्यौरा दिनांक 31.03.2023 को या इससे पूर्व फाइल करें। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फाइलिंग चालू वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद ही की जानी अपेक्षित है।

(ख): इस अधिनियम की अनुसूची VII में कंपनियों द्वारा सीएसआर के रूप में आरंभ किए जा सकने वाले कार्यकलापों की पात्र सूची दर्शाई गई है। मंत्रालय ने दिनांक 18 जून, 2014 के सामान्य परिपत्र सं. 21/2014 तथा दिनांक 25 अगस्त, 2021 के सामान्य परिपत्र सं. 14/2021 के तहत यह स्पष्ट किया था कि अनुसूची-VII में उल्लिखित मदें व्यापक हैं तथा इनकी व्याख्या उदारतापूर्वक की जा सकती है। अनुसूची VII की मद सं. (i) में, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र सीएसआर कार्यकलापों के रूप में "स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल" को कवर किया गया है। इसी तरह, मद सं. (iv) में पात्र सीएसआर कार्यकलापों के रूप में "पर्यावरणीय धारणीयता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा मिट्टी, वायु एवं जल की गुणवत्ता को बनाए रखे जाने को सुनिश्चित करना" कवर किया गया है। तद्नुसार, भूजल जल विकास, सौर पैनल तथा प्रदूषण रहित जल निकाय अनुसूची VII की मद सं. (i) और (iv) के तहत पात्र सीएसआर कार्यकलाप हैं। तथापि, इस अधिनियम के अंतर्गत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उसके संबंध में निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियां अधिनियम तथा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में यथा सन्निहित उपबंधों को पूरा किए जाने के अध्यधीन अनुसूची VII में उल्लिखित किन्हीं कार्यकलापों को आरंभ कर सकती हैं। सरकार किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कार्यकलाप पर व्यय करने के लिए कंपनियों को कोई निदेश जारी नहीं करती है।

(ग) और (घ): कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा 2020 के माध्यम से इस अधिनियम की धारा 135 में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि इस परियोजना के स्वरूप के आधार पर अव्ययित सीएसआर राशि के उपयोग का प्रावधान किया जा सके। किसी चालू परियोजना के मामले में, कंपनी द्वारा वित्त वर्ष के अंत से 30 दिन की अवधि के भीतर कंपनी के विशेष खाते अर्थात् 'अव्ययित सीएसआर खाता' में अव्ययित राशि का अंतरण करना और अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में इसे ऐसे अंतरण की तिथि से अगले तीन वित्तीय वर्षों के भीतर व्यय करना अपेक्षित है। तीन वित्तीय वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद, अव्ययित शेष राशि, यदि कोई हो, को इस अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। चालू परियोजना से भिन्न किसी अन्य परियोजना के मामले में, कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह वित्त वर्ष के अंत से छह माह की अवधि के भीतर इस अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी निधि में अव्ययित सीएसआर राशि का अंतरण करे।

सरकार एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा किए गए प्रकटनों के माध्यम से सीएसआर प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करती है। जब कभी भी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो रिकॉर्डों की सम्यक जांच तथा विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी गैर-अनुपालनकर्ता कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ की जाती है।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा में दिनांक 12.12.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 72 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

शीर्ष 500 कंपनियों द्वारा विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय
(राशि करोड़ रु में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वि.व. 2019-20	वि.व. 2020-21
1	कृषि-वानिकी	60.53	11.58
2	पशु कल्याण	33.93	91.03
3	सशस्त्र सेनाएं, योद्धा, वीरांगनाएं	41.67	67.38
4	कला और संस्कृति	854.19	392.45
5	निर्मल गंगा कोष	1.00	5.77
6	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	131.88	66.49
7	शिक्षा	4,777.41	4,004.20
8	पर्यावरण स्थिरता	1,178.95	736.26
9	लैंगिक समानता	55.72	14.81
10	स्वास्थ्य देखभाल	3,523.04	5,028.10
11	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	857.11	576.76
12	केंद्र सरकार की अन्य निधियां	758.45	1,267.92
13	गरीबी, भूखमरी का निवारण, कुपोषण	814.17	829.38
14	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	478.34	1,218.79
15	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1,951.75	1,518.08
16	स्वच्छ पेयजल	182.02	140.74
17	स्वच्छता	424.19	250.31
18	वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	25.15	21.69
19	महिलागृह और छात्रावासों की स्थापना	34.70	18.88
20	अनाथाश्रम की स्थापना	22.32	8.76
21	स्लम क्षेत्र विकास	35.33	71.30
22	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	139.10	51.44
23	विशेष शिक्षा	132.53	131.69
24	स्वच्छ भारत कोष	25.10	136.67
25	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	33.67	34.56
26	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	231.94	170.58
27	व्यावसायिक कौशल	1,017.11	444.78
28	महिला सशक्तिकरण	156.57	93.17
29	एनईसी/उल्लिखित नहीं है*	495.53	268.82
	कुल योग	18,473.41	17,672.40

(30.09.2022 तक के आंकड़ें) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

* कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नामों को निर्दिष्ट नहीं किया या एक से अधिक क्षेत्रों को दर्शाया है जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक-II

लोक सभा में दिनांक 12.12.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 72 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

शीर्ष 500 कंपनियों द्वारा राज्य-वार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रु में)			
क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21
1	अंडमान और निकोबार	-	0.09
2	आंध्र प्रदेश	548.52	511.04
3	अरुणाचल प्रदेश	16.19	8.19
4	असम	258.28	132.77
5	बिहार	81.98	43.68
6	चंडीगढ़	8.60	1.09
7	छत्तीसगढ़	205.68	247.29
8	दादरा और नगर हवेली	10.06	9.79
9	दमन और दीव	3.23	-
10	दिल्ली	430.77	223.81
11	गोवा	9.20	7.57
12	गुजरात	463.07	789.34
13	हरियाणा	308.03	297.11
14	हिमाचल प्रदेश	51.12	76.46
15	जम्मू-कश्मीर	12.33	28.23
16	झारखंड	119.00	153.80
17	कर्नाटक	825.80	622.13
18	केरल	207.09	174.65
19	लक्षद्वीप	-	-
20	मध्य प्रदेश	116.22	221.88
21	महाराष्ट्र	2,105.11	1,885.19
22	मणिपुर	8.38	4.36
23	मेघालय	13.36	4.06
24	मिजोरम	-	0.15
25	नागालैंड	0.55	2.99
26	ओडिशा	631.10	463.77
27	पुडुचेरी	4.30	3.84
28	पंजाब	105.95	42.62
29	राजस्थान	488.79	401.20
30	सिक्किम	8.42	11.08
31	तमिलनाडु	626.07	575.94
32	तेलंगाना	215.17	310.24
33	त्रिपुरा	7.16	5.00
34	उत्तर प्रदेश	350.04	526.84
35	उत्तराखंड	84.30	105.20
36	पश्चिम बंगाल	174.72	168.83
37	एनईसी / उल्लेख नहीं किया गया है *	23.11	172.22
38	समस्त भारत**	8,688.78	6,810.77
39	समस्त भारत (अनुसूची VII में यथा उल्लिखित केंद्रीकृत निधियां)	1,262.90	2,629.15
कुल योग		**18,473.41**	**17,672.40**

(30.09.2022 तक के आंकड़े) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

*** कंपनियों ने उन राज्यों के नामों को निर्दिष्ट नहीं किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं**

**** कंपनियों ने एक से अधिक राज्यों के नामों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

*****